राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.4(3)साप्र/5/2015 जयपुर दिनांकः 27.12.2017

प्रबन्धक,
ट्रांजिट हॉस्टल,
गांधीनगर, जयपुर।

विषयः– गांधीनगर राजकीय सामुदायिक केन्द्र के संचालन हेतु दिशा–निर्देश व किराया दरें।

वर्तमान में गांधीनगर राजकीय सामुदायिक केन्द्र में 3 मैदान, हॉल, कमरे व रसोई है। यह सामुदायिक केन्द्र पूर्व में रजिस्टर्ड संस्था गांधीनगर क्लब द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2001 को अपने कब्जे में ले लिया गया था।

गांधीनगर राजकीय सामुदायिक केन्द्र सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर की देख–रेख में संचालित किया जा रहा है। उक्त सामुदायिक केन्द्र के संचालन के लिए पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों (In suppression of all previous orders) के स्थान पर नवीन दिशा–निर्देश निम्न प्रकार हैः–

1. राजकीय सामुदायिक केन्द्र, गाँधीनगर, जयपुर का संचालन प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। इस केन्द्र में आरक्षण व अन्य व्यवस्थाओं हेतु ट्रांजिट हॉस्टल कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर या कार्यालय के दूरभाष नम्बर 2705980 पर सम्पर्क कर किया जा सकता है।
2. राजकीय सामुदायिक केन्द्र, गांधीनगर को गांधीनगर/बजाजनगर अपार्टमेन्ट/एम0एल0ए0 क्वार्टर्स के राजकीय आवासों में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पारिवारिक समारोहों हेतु रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित/आवंटन किया जा सकेगा। उक्त सामुदायिक केन्द्र अन्य राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनके पारिवारिक समारोहों के लिए रियायती दरों पर आवंटन किया जा सकेगा, लेकिन गांधीनगर व बजाजनगर अपार्टमेन्ट में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
   (अ) सिविल सेवा आफिसर्स संस्थान, जयपुर एवं इसके सदस्यों को सामुदायिक केन्द्र में अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुरूप रियायती दर पर सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
   (ब) सामुदायिक केन्द्र उपयोग के लिए राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर आयोग/निगम/बोर्ड में पदस्थापित है, भी सम्मिलित होगें तथा उनसे भी रियायती दर वसूल की जायेगी।

   इसके अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा आरक्षित करवाये जाने पर किराया प्राईवेट दर से ही देय होगा। सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण अहस्तान्तरणीय है। आरक्षण 24 घण्टे के लिए (प्रातः 08.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 08.00 बजे तक) होगा। सामुदायिक केन्द्र परिसर में माँस, मदिरा, जुआ एवं अन्य असामाजिक गतिविधियाँ तथा राजनैतिक गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित होंगी।

   "यदि एक दिन में व समान समय पर आरक्षण हेतु 2 या अधिक स्त्रोतों से आवेदन प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता गाँधीनगर क्षेत्र के राजकीय आवासों में रहने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दी जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा आरक्षण की औपचारितकताएँ पूर्ण करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके आरक्षण को उसी समय कन्फर्म कर दिया जायेगा।"

2.

3. सामुदायिक केन्द्र या उसका कोई भाग अधिकतम 2 दिवसों के लिए ही किराये पर दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति से एक सप्ताह तक आरक्षित किया जा सकेगा। जिसका सम्पूर्ण किराया अग्रिम जमा कराना आवश्यक होगा।

किसी राजकीय कार्य हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की सक्षम स्वीकृति पश्चात उक्त सामुदायिक केन्द्र निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा सकेगा, किन्तु इसके लिए वास्तविक विद्युत उपयोग, जल उपयोग, सफाई इत्यादि का व्यय संबंधित संस्था/विभाग द्वारा देय होगा।

4. आरक्षित किये जाने पर वास्तविक किराये के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि रूपये 12,000/– या 20,000/– (जो भी लागू हो) प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर के कार्यालय में जमा करवानी होगी। जिसमें वास्तविक विद्युत व्यय, टूट–फूट एवं सफाई आदि के पेटे खर्च की गई राशि का समायोजन किया जाकर शेष राशि जमाकर्ता के बैंक खातें में ऑनलाईन लौटाई जावेगी। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. सामुदायिक केन्द्र के किसी भाग के उपयोग की अनुमति/आरक्षण का अधिकार प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को होगा, किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमुख शासन सचिव का अन्तिम निर्णय ही मान्य होगा।
6. आरक्षण रद्द किये जाने की स्थिति में निम्न प्रकार से राशि काटी जावेगीः–
   (क) कार्यक्रम की तिथि से 30 दिवस पूर्व आरक्षण निरस्त कराने पर कुल किराये की 25 प्रतिशत राशि काटी जावेगी।
   (ख) कार्यक्रम तिथि से 30 दिवस से कम अवधि में आरक्षण निरस्त कराने पर कुल किराया राशि का 50 प्रतिशत राशि काटी जावेगी।
7. आवेदक ध्वनि प्रसारक यन्त्रों (माइक, आक्रेस्ट्रा) इत्यादि का उपयोग नहीं करेगा। इस क्रम में आवेदक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेगा।
8. आवेदक पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार करवायेगें कि जिससे सड़क पर सामान्य यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।
9. आवेदक को कार्यक्रम समापन के 15 दिवस के भीतर प्रतिभूति राशि क्लेम करनी होगी। तत्पश्चात् 1 वर्ष के भीतर प्रतिभूति राशि क्लेम नहीं करता है, तो यह राशि राजकोष में जमा करा दी जावेगी।
10. राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा समय–समय पर लिये जाने वाले चार्ज/शुल्क भी आवंटी द्वारा देय होगें।
11. व्यावसायिक मेले/प्रदर्शनी आदि के आयोजन पर प्राईवेट दरें ही लागू होगी।
12. राजकीय सामुदायिक केन्द्र, गांधीनगर में विभिन्न क्रियाकलापों हेतु 24 घण्टे (एक दिन) का किराया निम्न प्रकार से देय होगाः–

क्र. सं.	स्थान का विवरण	वर्तमान दरें	
		राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी हेतु (प्रतिदिन)	प्राईवेट व्यक्ति/संस्था हेतु (प्रतिदिन)
1	ऊपर का हॉल	1,500/-	5,000/-
2	नीचे का हॉल	1,500/-	6,000/-
3	लॉन (घासवाला)	5,000/-	20,000/-
4	मैदान I–II (केवल एक मैदान)	2,000/-	10,000/-
5	रसोई घर	1,000/-	2,000/-
6	अतिरिक्त कमरा	500/-	1,000/-
7	हॉल केवल चार घण्टे के लिए इसमें भोजन का आयोजन सम्मिलित नहीं है अन्यथा पूरे का चार्ज होगा	500/-	2,500/-
8	प्रतिभूति राशि	12,000/-	20,000/-
9	आरक्षण रद्द कराने पर जमा राशि की कटौती राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति/संस्था हेतु	आरक्षण तिथि से एक माह से पूर्व तक रद्द करवाने पर	आरक्षण तिथि से एक माह से पूर्व तक रद्द करवाने पर
		25%	50%

2

10	खेल गतिविधियों हेतु निम्न दरें होगीः– टेबल टैनिस/बैडमिन्टन	100/– रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह.
11	हॉल का उपयोग योगा के लिये किये जाने पर	50/– रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
12	सेल/प्रदर्शनी/व्यावसायिक गतिविधियों के लिये प्रतिदिन प्रति मैदान/लॉन	25,000/-
13	लॉन (घासवाला) केवल तीये की बैठक हेतु चार घण्टे के लिए। (उक्त लॉन (घासवाला) किसी शादी आदि के लिये बुक है, तो तीये की बैठक हेतु देय नहीं होगा)	3,000/- (+ Tax 15% or as applicable time to time)

13. उक्त दिशा–निर्देशों व किराया दरों में समय–समय पर संशोधन होने पर बढ़ी हुई दरें पूर्व में आरक्षितकर्ता पर लागू होगी, अर्थात बढ़ी हुई दरों के अनुसार अन्तर राशि देय होगी।
14. किसी भी उपयोगकर्त्ता/आवेदक द्वारा उक्त प्रावधानों या शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रबन्धक को ऐसे उपयोगकर्त्ता/आवेदक के आवंटन को तुरन्त प्रभाव से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त निर्देश व किराये की दरें वित्त व्यय–2 विभाग की आई0डी0 संख्या 1291 दिनांक 09.05.2001 व 101002419 दिनांक 28.06.2010 के क्रम में प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

उक्त दिशा–निर्देशों व किराया दरों में समय–समय पर संशोधन करने में प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सक्षम होंगे। उक्त संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जारी किये गये है।

यह आदेश जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावी होंगे।

ह0

(गौरव बजाड़)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आवश्यक प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजकीय सामुदायिक केन्द्र, गांधी नगर, जयपुर

आरक्षण हेतु आवेदन पत्र

1. नाम .... पुत्र श्री...
2. पूरा पता ....
....
3. टेलीफोन नं. कार्यालय .... निवास .... मो. ....
4. जिसका विवाह/उत्सव हैं उसका आवेदक से सम्बन्ध ....
5. आरक्षण का उददेश्य ....
6. आरक्षण की दिनांक .... को/से ....
7. यदि प्रार्थी गांधी नगर/बजाज नगर/एम.एल.ए. फ्लेट्स की राजकीय कॉलोनी का आवासी हैं तो कब से (दिनांक अंकित करें) ....
8. आरक्षण हेतु स्थान का विवरण :–

मैं राजकीय सामुदायिक केन्द में आरक्षित स्थान का उपयोग उल्लेखित प्रयोजन एवं निर्धारित समय एवं सीमा तक ही करूंगा/करूंगी। मैं रूपये 14/– प्रति यूनिट बिजली के एवं रूपये 1000/– समारोह पश्चात् की साफ सफाई शुल्क के तथा रूपये 600/–,400/–दोनो में से जो भी समारोह अनुसार लागू हो पानी शुल्क के देने के लिये सहमत हूं/वचनबद्ध हूं। मैंने स्थान के आरक्षण से संमधित पुष्ठांकित सभी नियम शर्तो क्रम सं. 1 से 20 तक पढ ली हैं, मैं इनका पालन करने के लिये भी सहमत हूं। वचनबद्ध हूं।

प्रार्थी

स्थान :– आवेदक के हस्ताक्षर ....

दिनांक :– पूरा नाम ....

....

विभागीय प्रमाण–पत्र
(राज्य कर्मचारियों हेतु)

क्रमांक : दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....जो कि .... विभाग में ....के पद पर कार्यरत हैं। इनकी पुत्री/पुत्र/स्वयं श्री/सुश्री ....का विवाह/सगाई/समारोह दिनांक ....को होना निश्चित हुआ हैं।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय सील

नाम : ....

फोन : ....

(कृ.प.उ)

नियम एवं शर्ते

1. सामुदायिक केन्द्र गांधी नगर के आरक्षण के लिये यदि एक ही दिन व समय पर आरक्षण हेतु 2 या अधिक स्त्रोंतो से आवेदन प्राप्त होता हैं तो ऐसी स्थिती में प्राथमिकता गांधी नगर क्षेत्र में राजकीय आवासों में रहने वाले अधिकार/कर्मचारी को दी जायेगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा आरक्षण की औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये आवेदन दिया जाना हैं तो उसके आरक्षण को उसी समय कनफर्म किया जायेगा।
2. सामुदायिक केन्द्र या आरक्षण अहस्तान्तरणीय हैं। आरक्षित स्थान विशेष का आरक्षण प्रातः 8 बजे से दूसरे दिन प्रातः 8 बजे तक को होगा। इसके पश्चात् पैनल्टी के रूप मे दूसरे दिन का किराया देय होगा। लेकिन यदि सामुदायिक केन्द्र अगले दिन के लिये पहले से ही किसी अन्य के पक्ष में आरक्षित हैं तो निर्धारित समय प्रातः 8 बजे तक केन्द्र को खाली करना ही होगा।
3. सामुदायिक केन्द्र परिसर में मांस, मदिरा, जुआ, इत्यादि का आयोजन वर्जित है।
4. किसी भी प्रकार की तोडफोड होने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्रतिभूति राशि में से ली जावेगी।
5. आरक्षण हेतु जमा कराई गई किराये की राशि की रसीद दिखानें पर ही आरक्षित/स्थान/भाग खोला जावेगा तथा उसी समय बिजली की शुरूआती रीडिंग भी नोट कर आंवटी या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे। साथ ही नगर निगम को देय 1000/–रूपये भी उसी समय देने होंगे जिसकी नगर निगम द्वारा देय रसीद आवंटी को दी जावेंगी।
6. आरक्षण किये जाने पर वास्तविक किराये के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि रूपये 12000/– या 20,000/–(जो भी लागू हो) उसी समय जमा करानें होगें तथा प्रतिभूति राशि आरक्षणकर्ता को समारोह पश्चात् नियमानुसार लोटा दी जावेंगी।जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। विधुत खर्चे, पानी शुल्क एवं समारोह पश्चात की साफ सफाई शुल्क, टूट फूट इत्यादि के पेटे खर्चे की राशि को समारोह पश्चात् आवंटी द्वारा नगद जमा करवानी होगी।
7. जल एवं विधुत आपूर्ति उपलब्धता पर ही निर्भर होगी। यदि जल/विधुत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विध्न बाधा पर आवंटी (आवेदक) को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था एवं स्वयं के स्तर पर अपनें स्वयं के संसाधनो द्वारा की जावेगी। जल आपूर्ति विधुत मोटर चलाकर ही की जावेगी।
8. भवन, लॉन, स्टेज पर भट्टी रखकर भोजन नहीं बनाया जावेगा।
9. केन्द्र/राज्य सरकार/ नगर निगम द्वारा समय समय पर लिये जाने वाले चार्ज/शुल्क/टैक्स इत्यादि भी आवंटी द्वारा ही देय होंगे।
10. आवंटी (आवेदक) द्वारा करवाये गये आरक्षित स्थान को सामुदायिक केन्द्र, द्वारा नियत तिथि और समय पर आवंटी (आवेदक) को सुस्वच्छ साफ सुथरा ही उपलब्ध करवाया जाता हैं। अतः आरक्षित स्थान पूर्णतया साफ सुथरा, सुस्वच्छ प्राप्त करने की जिम्मेंदारी आवंटी/आवेदक की ही होगी। निश्चित अवधि के पश्चात् उपभोगकर्ता कों भवन/परिसर को तुरन्त खाली करना होगा।
11. किसी भी विवाद में प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय ही अन्तिम होगा।
12. आरक्षण रद्द किये जाने की स्थिति में निम्न प्रकार से राशि काट ली जावेंगी :–

    (अ) कार्यक्रम तिथि से एक माह पूर्व आरक्षण रद्द करवानें पर कुल किराया राशि का 25% काट लिया जावेगा।

    (ब) कार्यक्रम तिथि से 30 दिवस से कम की अवधि में आरक्षण रद्द करवानें पर कुल किराये की राशि का 50% राशि काट ली जावेगी।
13. आवेदक को कार्यक्रम समापन के 15 दिवस के भीतर प्रतिभूति राशि क्लेम करनी होगी। इसके पश्चात् यह राशि राजकोष में जमा करा दी जावेगी।
14. आवेदक यदि एक वर्ष के भीतर प्रतिभूति राशि क्लेम नहीं करता हैं तो यह राशि जब्त मानी जावेगी।
15. आवेदक (आवंटी) पार्किंग व्यवस्था स्वयं के स्तर पर निर्धारित स्थान पर ही करवायेंगे ताकि सडक पर सामान्य यातायात मैं बाधा उत्पन्न नहीं हो।
16. जमा प्रतिभूति राशि से अधिक राशि का खर्चा होने पर आवेदक द्वारा तुरन्त देय होगा।
17. आवेदक ध्वनि प्रसारक यन्त्रो (माईक, आरकेस्टा) इत्यादि का उपयोग नही करेगा। साथ ही ध्वनि प्रदूषण सम्बधित सर्वोच्य न्यायालय के आदेशो एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों सम्बधित कानून पालना सुनिश्चित करेगा, अवहेलना किये जानें पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के प्रति आवेदक/आवंटी/आयोजक व्यतिशतः स्वयं उत्तरदायी, जिम्मेंदार होंगे। ईस हेतु राज्य सरकार द्वारा सचांलित राजकीय सामुदायिक केन्द्र गांधी नगर की किसी भी प्रकार की किसी स्तर पर कोई भी जिम्मेंदारी/उत्तरदायी नहीं होगा।
18. आवेदक अपने कीमती सामान की रखवाली स्वयं अपने स्तर पर करेगा। राजकीय सामुदायिक केन्द्र की कोई जिम्मेंदारी नहीं होगी। अर्थात् आवेदक/उपयोगकर्ता अपनें सामान की सुरक्षा के प्रति स्वयं उत्तरदायी होगा।
19. मेला/सेल/प्रदर्शनी/व्यावसायिक गतिविधियों एवं धार्मिक एवं पारिवारिक आयोजन हेतु यदि प्रशासनिक, किसी अन्य विभाग/संस्था की पूर्वानुमति की आवश्यकता हो तो आयोजक/आवेदक स्वयं के स्तर पर कार्यवाही पर प्राप्त करेंगे।
20. रूपये 14/– प्रति यूनिट विधुत खर्च के अन्तर्गत भवन में लगी हुई लाइटें, पंखो, हेलोजन एवं लॉन में तैंयार विधुत कनेक्शन की सुविधा इत्यादि का किराया, रखरखाव की राशि भी सम्मिलित हैं। जिसको अदा करने हेतु मैं सहमत हूँ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर